



प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक-16-09-2024

जनपद अम्बेडकरनगर थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा गोवध के अन्तर्जनपदीय 03 नफर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में (02 नफर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल) दो अदद तमंचा .315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर, दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर तथा एक अदद पिकअप सफेद रंग के साथ किया गया गिरफ्तार।

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मै राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15/16.09.2024 की रात्रि को थाना हाजा से मय सरकारी वाहन UP45G0279 मय चालक के खाना होकर देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अभियुक्त चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में मामुर होकर पदुमपुर बाजार मे मौजूद थे कि जरिये मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि साहब गौ तस्कारी आवारा पशुओ गाय/साड़ को काटने के लिए लादने वाले पिकप सवार अभियुक्तगण मखनहा बार्डर से पदुमपुर की तरफ आ रहे है इस सूचना पर विश्वास कर मुझ उ0नि0 द्वारा पदुमपुर पर बैरियर लगाकर रोड को ब्लाक किया गया और पिकप का इन्तजार किया गया तो मखनहा बार्डर आजमगढ़ से एक पिकप सफेद रंग की आती हुई दिखाई दी । नजदीक पहुंचने पर मुझ थानाध्यक्ष द्वारा पिकप को रूकने का इशारा किया गया तो पिकप सवार व्यक्तियों द्वारा पिकप से हम पुलिस कर्मियों पर पथराव कियाजाना लगा और बैरियर तौड़ कर पदुमपुर से राजेसुल्तानपुर की तरफ मुड़कर कम्हरिया की तरफ भागने लगे जिस पर मुझ थानाध्यक्ष के द्वारा कन्ट्रोल रूम को अवगत कराते हुए क्षेत्र में खाना द्वितीय मोबाइल प्रभारी उ0नि0 अमरनाथ यादव को जरिये दूरभाष अवगत कराया गया और पिकअप को रोकने के लिए रास्ता ब्लाक व एंबुश लगाने हेतु बताया गया। और मुझ थानाध्यक्ष द्वारा मय हमराही कर्म0गण के उस पिकअप का पिछा किया जाने लगा । बभनपुरा रोड़ पुल के पास द्वितीय मोबाइल मे लगे प्रभारी उ0नि0 अमरनाथ यादव द्वारा अपने हमराही कर्मचारीयो की मदद से बभनपुरा पुल के पास रोड को ब्लाक कर पिकअप का इन्तजार किया जा रहा था कि पिकअप जब बभनपुरा पुल पर पहुचीं तो आगे रास्ता ब्लाक व पुलिस की गाडी देखकर और पिछे मुझ थानाध्यक्ष की गाडी को देखकर पुलिस कर्मचारीयो पर अबैध कट्टे से जान से मारने की नियत से फायर कर दिये व ईट पत्थर चलाते हुए गाडी से उतरकर भागने लगे जिसपर मुझ थानाध्यक्ष व द्वितीय मोबाइल प्रभारी उ0नि0 अमरनाथ यादव द्वारा जवाबी फायरिंग बचाव मे की गयी तो दो अभियुक्तो के पैरो मे घुटने के निचे गोली लग गयी और वही गिर पड़े जिसे हम पुलिस कर्मियो द्वारा पकड़ लिया गया व तीसरे अभियुक्त को भी हम पुलिस कर्मियो द्वारा हिकमत अमली से दौड़ाकर कुछ दूरी पर पकड़ लिया गया । तीनो अभियुक्तो को समय करीब 00.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अभियुक्तगण (दिलशाद उर्फ करिया उर्फ कोट्टा व सलमान उर्फ मन्नी) के कब्जे से दो अदद अवैध तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। व पिकअप गाडी UP50ET2932 सफेद रंग की बरामद किया गया। मुझ थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना की जनकारी कन्ट्रोल रूम व उच्चाधिकारीगण को दी गयी व घायल गिरफ्तार अभियुक्तगण को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी जहांगीरगंज ले जाया गया व एक अभियुक्त को थाना हवालात मे किया गया व गिरफ्तार अभियुक्तगणो के परिजनो को सूचना अकब से दी जायेगी। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का पालन किया गया। व गिरफ्तारी के समय अभियुक्तगण को उनके द्वारा किये गये अपराध जुर्म धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट से अवगत कराया गया। व पूछताछ से

ज्ञात हुआ कि पकड़े गये अभियुक्तगण द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस की घटना पूर्व में कारित की गयी है।

विवरण पूछताछ-

1. **अभियुक्त दिलशाद उर्फ करिया उर्फ कोट्टा** – पूछताछ से अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसको अपने द्वारा किया गया अपराध जुर्म धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है व पूछताछ से अभियुक्त द्वारा पूर्व में थाना राजेसुल्तानपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस की घटना में सम्मिलित होना बताया गया।

2. **अभियुक्त सलमान उर्फ मन्नी पुत्र मोहसिन** – पूछताछ से अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसको अपने द्वारा किया गया अपराध जुर्म धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है व पूछताछ से अभियुक्त द्वारा पूर्व में थाना राजेसुल्तानपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस की घटना में सम्मिलित होना बताया गया।

3. **अभियुक्त मोहम्मद वसीम पुत्र इकबाल** – पूछताछ से अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसको अपने द्वारा किया गया अपराध जुर्म धारा 109(1) BNS के सम्बन्ध में जानकारी हो गयी है व पूछताछ से अभियुक्त द्वारा पूर्व में थाना राजेसुल्तानपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस की घटना में सम्मिलित होना बताया गया।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01- दिलशाद उर्फ करिया उर्फ कोट्टा पुत्र मोहम्मद नि0ग्राम मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष

02- सलमान उर्फ मन्नी पुत्र मोहसीन नि0ग्राम मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 31 वर्ष

03- मोहम्मद वसीम पुत्र इकबाल नि0ग्राम मुरादाबाद जिला रोहतास प्रान्त बिहार उम्र 28 वर्ष

विवरण बरामदगी-

01- दो अदद तमंचा .315 बोर

02- दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

03- दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर

04- एक अदद पिकअप सफेद रंग UP50ET2932

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

I. **दिलशाद उर्फ करिया उर्फ कोट्टा पुत्र मोहम्मद नि0ग्राम मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़**

1. मु0अ0सं0 138/16 धारा 379 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 243/17 धारा 272/273 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना पवई जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 74/18 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

4. मु0अ0सं0 128/19 धारा 307 भादवि व 3/5A/8 गो0 निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

5. मु0अ0सं0 214/19 धारा 458/380/336/323 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

6. मु0अ0सं0 221/19 धारा 307/504 भादवि व 3/5A/8 गो0 निवारण अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

7. मु0अ0सं0 137/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

8. मु0अ0सं0 300/23 धारा 3/5A/8 गो0 निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

9. मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर

10. मु0अ0सं0 267/24 धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर

II. सलमान उर्फ मन्नी पुत्र मोहसीन नि0ग्राम मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 79/16 धारा 3/5A/8 गो0 निवारण अधि0 व 11 पशु कुरता एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 250/17 धारा 3/5A/8 गो0 निवारण अधि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 35/21 धारा 3/5A/8 गो0 निवारण अधि0 थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 50/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
6. मु0अ0सं0 267/24 धारा 109(1) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर

III. मोहम्मद वसीम पुत्र इकबाल नि0ग्राम मुरादाबाद जिला रोहतास प्रान्त बिहार

1. मु0अ0सं0 262/24 धारा 121(1)/132/109(1)/324(4) बीएनएस थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. मु0अ0सं0 267/24 धारा 109(1) BNS थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर

गिरफ्तारी स्थान- बभनपुरा पुल

गिरफ्तारी समय- 00.40 बजे

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

- 01-थानाध्यक्ष विजय प्रताप तिवारी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 02- उ0नि0 अमरनाथ यादव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 03- उ0नि0 जंगेश हुसैन थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 04- उ0नि0 अरुण कुमार सिंह थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 05- हे0का0 संतोष यादव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 06- का0 उदयप्रताप मौर्या थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 07- का0 धनन्जय यादव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 08- का0 रामअवतार यादव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 09- का0 बृजमोहन थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
- 10- का0 बृजेश यादव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर